उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

19, सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/ विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के 176 रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के सम्बन्ध में "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में सम्मिलित अभ्यर्थियों का परिणाम

दिनांक: मई 26 , 2026

संख्या : पीआरपीबी-चार-12(37)/2025(भाग-4)

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में दिये गये प्रावधानानुसार मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष-2020 से 2025 (दिनांक 01-07-2020 से 30-06-2026) तक की कुल 176 रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के सम्बन्ध में पात्र 3950 अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा दिनांक 05-10-2025 को सम्पन्न हुई थी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 2781 अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण की "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" दिनांक 28-04-2026 से 11-05-2026 तक जनपद लखनऊ एवं सीतापुर के 04 परीक्षण केन्द्रों में सम्पन्न हो चुकी है।

2- संगत सेवानियमावली में दिये गये प्रावधानानुसार "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में न्यूनतम 25 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सेवाभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा। "प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण" में कुल 2542 अभ्यर्थी अर्ह हुए है। अभ्यर्थीगण बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर जाकर दिये गये लिंक पर अपना पी0एन0ओ0 नम्बर व जन्म तिथि डालकर अगले चरण "सेवाभिलेखों का मूल्यांकन" हेतु अर्ह होने की जानकारी प्राप्त कर सकते है, जिसमें अभ्यर्थियों का परिणाम निम्नांकित विवरण (Caption) के अनुसार प्रदर्शित किया जा रहा है:-

1) Qualified in Practical Technical Efficiency Test (न्यूनतम 25 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त होने के कारण अर्ह)
2) Not Qualified in Practical Technical Efficiency Test (न्यूनतम 25 से कम अंक प्राप्त होने के कारण अनर्ह)
3) Absent (Not Qualified) in Practical Technical Efficiency Test (प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण में अनुपस्थित (अनर्ह)

3- यद्यपि उक्त सूचना वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनींकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा/अनुमन्य होगा। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए है। अत: जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

अपर सचिव-प्रोन्नति,
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।